

# Form No. III

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

बेलाराम

बनाम

सरकार जरीय तहसिलदार माण्ड

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188

काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 169 सन् 2018

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिमिल्स जज

नम्बर या  
तारीख अहकाम  
जो इस हुकम  
का तामिल में  
जारी हुए

31/5 वकील वादी उपस्थित ।

वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 06/09/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मारवाड़ जंक्शन

6/9/18 वकूलाय अनुपस्थित ।

आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 10/11/18 को पेश हो।

15/11/18 उप खण्ड अधिकारी एवं उप पत्रावली पेशी नुजिस्ट्रेट मा.जं.

आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त है/अमन पर है/ बैठक में पधारे हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली आवन्दा दिनांक 17/12/18 को पेश हो।

रिडर  
उप खण्ड अधिकारी एवं नुजिस्ट्रेट  
मारवाड़ जंक्शन

हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।

13/6/19

पतावली आज पेश हुई वकील वारी  
अनुप वकील वारी को उपस्थित करने  
कराने हेतु लिखा जावे वकील वारी  
प्रतिवादी गण के लक्ष्मी नाम एवं पता मय  
पी जम्मन बात विवक्षित के पेश करें। पेश  
नही करने पर अप्रिम कार्यवाही अमल में  
ली जावेगी। पतावली वास्तु तलवी आथवा  
दिनांक 30/7/19 को पेश हो।

रिडर कागसर

कीटल

30/7/19

पतावली रेश हुई  
आज पीठासीन अधिकारी महोदय  
अन्य कार्य से व्यस्त है/भ्रमण पर है/  
बेठक में पधारे हुऐ है/अवकाश पर है  
अतः पतावली आवन्दा  
दिनांक 24/7/19 को पेश हो।

रिडर

उप सण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट  
मारवाड़ बंशब

24/9/19

पतावली आज पेश हुई वकील वारी  
अनुप वकील वारी दिनांक 13/6/19 को  
आदिनांक तक न्यायालय हाज में सुनवाई  
के दौरान उपस्थित नही हुए जिसकारण  
प्रकरण तथा न्यायालय की कार्यवाही के प्रति  
वकील वारी तथा स्वयं वारी की  
अदावीत व्यस्त होती है। साथ ही दिनांक  
24/11/19 को लगातार पी जम्मन पेश करने हेतु  
निर्देशित किया गया किंतु पेश नही किये गए  
जो कि वकील वारी एवं स्वयं वारी की  
प्रकरण के प्रति लापरवाही को व्यक्त करता है।  
अतः प्रथम दूरया मापना आवश्यक उचित नही  
होता है साथ ही वकील वारी की अनुपस्थिति  
के प्रकरण की कार्यवाही नही हो सकती है।

तारीख  
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायाधीश  
अदालत नं. १५  
का. न्यायालय

आगे उल्लेखित को अंगीकार किया जाता  
न्यायोचित नहीं होता है।  
उल्लेखित को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
0-9-R-5 तथा 0-9-R-3 के अंतर्गत  
विचारणार्थ मिलाए गए सबूतों को  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
निर्णय नं. 24/9/19 को  
अंगीकार किया जाता

*(Signature)*  
न्यायाधीश

इस पर विचारण  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता

न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता  
न्यायाधीश को अंगीकार नहीं किया जा सकता

